राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 328/2022

आशीष शर्मा पुत्र श्री मुकेश शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. घनश्याम दास व्यास पुत्र श्री मिश्री लाल, निवासी 6, विस्तार योजना, भगत की कोठी, थाना शास्त्री नगर, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री फिरोज खान
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री विक्रम शर्मा, पी.पी. श्री सुशील कुमार, आर/2 के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>08/08/2024</u>

1. यहां आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत कथित अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन शास्त्री नगर, जोधपुर पश्चिम में दर्ज एफआईआर संख्या 279/2021, दिनांक 17.08.2021 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. सुनवाई की गयी।

3. याचिकाकर्ता एक निर्माण ठेकेदार है, और संबंधित एफआईआर शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसने आरोप लगाया है कि उसने याचिकाकर्ता को उसके घर के निर्माण के लिए एक राशि दी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने न तो निर्माण के लिए सामग्री खरीदी और न ही शिकायतकर्ता को पैसे लौटाए। इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने शिकायतकर्ता को संबंधित राशि के लिए चेक जारी किए थे। हालांकि, शिकायतकर्ता ने न तो भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए और न ही

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कोई कार्यवाही शुरू की। इसलिए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और आगे कोई जांच आवश्यक नहीं है।

4. मैंने केस फाइल का अवलोकन किया है। एफआईआर में दी गई कहानी स्व-व्याख्यात्मक है और इसमें किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

5. यह निर्विवाद है कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को निर्माण कार्य के लिए नियुक्त किया, जिसके कारण वित्तीय विवाद हुआ। एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 09.02.2018, 03.02.2018 और 22.02.2018 को क्रमशः 99,000/-, 1,00,000/- और 6,00,000/- रुपये की राशि के तीन चेक जारी किए। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ये चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे।

6. मेरा मानना है कि यदि चेक जारी किए गए थे, तो मामला सुलझ गया था और शिकायतकर्ता के पास चेक अनादरित होने पर कानूनी कार्रवाई करने का विकल्प था। शिकायतकर्ता द्वारा चेक प्रस्तुत न करना या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू न करना इसका मतलब है कि अकेले शिकायतकर्ता ही जिम्मेदार है। एफआईआर में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि चेक के संबंध में शिकायतकर्ता ने क्या कार्रवाई की।

6.1. जो भी हो, भले ही शिकायतकर्ता के चेक अनादरित हो गए हों, उसका उपाय परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने समय रहते कोई कानूनी उपाय नहीं किया और यह महसूस करते हुए कि समय बीत चुका है, स्थिति से बचने के लिए उसने संबंधित एफआईआर दर्ज करवाई। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का यह दुरुपयोग एफआईआर को अस्थिर बनाता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

7. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस स्टेशन शास्त्री नगर, जोधपुर पश्चिम में आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 279/2021, दिनांक 17.08.2021 को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।